

623

14P

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प.10(147)नविवि/3/2008/पाटे-111

जयपुर, दिनांक : 9.2.17

आदेश

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टावर आदि टेलीग्राफ संरचनाओं को लगाने की अनुमति के संबंध में इस विभाग के द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2017 जारी किया गया था जिसके पैरा 3 का खण्ड (iii) निम्न प्रकार है:-

"(iii) The licensee shall be permitted to erect/install telegraph infrastructure on open land including private/khatedari lands, lands and buildings of Government or Government owned/controlled Statutory or Non-Statutory institutions/bodies or at other public/private locations including roads, parks, playgrounds, hospitals, schools, land earmarked for public utilities."

उक्त खण्ड (iii) के नीचे निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाता है :-

"However, permission shall not be given in the areas/premises, restricted for the purpose, under the orders of any competent court."

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2017 के अन्तर्गत ऐसे किसी स्थान पर मोबाईल टावर आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जावे जहां के लिये माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी संक्षम न्यायालय द्वारा निषेध किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी कानून में यदि कोई क्षेत्र मोबाईल टावर आदि लगाने के लिये निषिद्ध है तो उस स्थान पर भी अनुमति नहीं दी जायेगी।

राज्यपाल को आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम